

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

Office - 07732 - 252016 , 252049, E-mail - dfotspanna@mp.gov.in,

क्रमांक/मा.चि./2018/1134

पन्ना /दिनांक 28/08/2018

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर

विषय :- सलेहा से कल्दा तक 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन के प्रस्ताव बावत्।

संदर्भ :- कार्यपालन यंत्री म0प्र0पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि.संभाग पन्ना का पत्र क्रमांक/548 दिनांक 19.05.2018

—00—

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत सलेहा से कल्दा तक 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसका स्थल निरीक्षण दिनांक 04.08.2018 को किया गया। निरीक्षण उपरांत मौके की निम्न स्थिति पाई गई।

1. प्रस्तावित क्षेत्र 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन परिक्षेत्र सलेहा के अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक पी-748,750,751,761,774,775,776,786, एवं वन परिक्षेत्र कल्दा के कक्ष क्रमांक पी-839 कुल लम्बाई 10.6 कि.मी. व चौड़ाई 4 मीटर कुल वन क्षेत्र का रकवा 4.24 हैं. से होकर गुजरेगी।
2. प्रस्तावित क्षेत्र पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
3. प्रस्तावित क्षेत्र संकटापन्न वनस्पति एवं वन्यप्रणियों की शरणस्थली नहीं है।
4. मौके पर 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन हेतु प्रारंभ एवं अन्तिम बिन्दु की जी.पी.एस. रीडिंग निम्नानुसार है:-

N-24 22 20.39, E-80 26 25.89

N-24 21 08-77, E-80 27 36.60

N-24 17 01.98, E-80 29 50.34

N-24 15 00.15, E-80 29 56.06

N-24 14 49.34, E-80 29 24.56

अतः प्रकरण में 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन डालने में उपयोग की जाने वाली वनभूमि रकवा 4.24 हे. न्यूनतम है। अतः वन क्षेत्र में विद्युत लाईन डाले जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव की हार्ड कॉपी 02 प्रति में संलग्न है कृपया स्वीकृति हेतु अनुमोदन करने कर कष्ट करें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

पन्ना,दिनांक.....

क्रमांक/मा0चि0/2018/

प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री म0प्र0 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि. संभाग पन्ना को सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

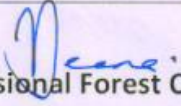
**Specific Recommendation of the DFO South Panna
for new 33 K.V. Electric Line Saleha to Kalda**

Specific Recommendation of
the DFO With Reason
for Approval of the Project

दक्षिण पन्ना वन मंडल के अन्तर्गत कार्यपालन
यंत्री म.प्र.पू.क्षे.विद्युत वितरण कम्पनी पन्ना
द्वारा सलेहा से कल्दा 33 के.व्ही. विद्युत लाईन
हेतु वन क्षेत्र में लम्बाई 10600 मी. X 4 मीटर
चौड़ाई कुल 4.24 हे. वन भूमि का उपयोग
किया जावेगा। विद्युत लाईन के नीचे आने वाले
वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी मात्र डालियों
की छांटी की जावेगी। उक्त क्षेत्र में 33 के.
व्ही. विद्युत लाईन आने से सलेहा कल्दा क्षेत्र
के ग्रामों में विद्युतीकरण होगा तथा ग्रामीणों के
घरों में विद्युत पहुंच पायेगी। आवेदक संस्थान
द्वारा 4.24 हे. वन भूमि की मांग की गई है
जो कि न्यूनतम है अतः वन क्षेत्र में 33 के.
व्ही. विद्युत लाईन डालने की स्वीकृति की
अनुशंसा की जाती है।

Place.....

Date.....


Divisional Forest Officer
Division South Panna